उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

सत्यमेव जयते

विज्ञापन संख्या 3/2016-17
दिनांक 07.11.2016

आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 03.12.2016

आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि : 07.12.2016

''विशेष सूचना :– (क) ''बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।'' **(ख)** आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।

अभ्यर्थीगण ऑन–लाइन आवेदन करने के उपरान्त आन–लाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष आन–लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि के पश्चात 21 दिन के भीतर (दिनांक 03 जनवरी, 2017 सायं 5:00 बजे तक) पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा स्वयं आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। इस प्रयोजन हेतु पते की पर्ची आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर चस्पा कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आन–लाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website http://uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ''आन–लाइन आवेदन पद्धति'' (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन–लाइन आवेदन ही करें।

''आन–लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1. आयोग की Website http://uppsc.up.nic.in पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं–

(I) User Instructions
(ii) View Advertisement
(iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ''आनलाइन आवेदन पद्धति'' लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन–लाइन आवेदन हेतु "APPLY" पर Click करें।

''आन–लाइन आवेदन'' करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :–

प्रथम चरण – APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण– प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्सन के साथ 'Fee to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक 'MOPS (Multi option payment system)' का Home page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODS. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण– द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट–1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही–सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही–सही निर्देशानुसार आन–लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. एक बार आवेदन "Submit" करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3. आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

1-अनारक्षित (सामान्य) – परीक्षा शुल्क ₹ 80/– आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹25/– योग = ₹ 105/–
2-अन्य पिछड़ा वर्ग – परीक्षा शुल्क ₹ 80/– आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग = ₹ 105/–
3-अनुसूचित जाति – परीक्षा शुल्क ₹ 40/– आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग = ₹ 65/–
4-अनुसूचित जनजाति – परीक्षा शुल्क ₹ 40/– आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग = ₹ 65/–
5-विकलांग श्रेणी – परीक्षा शुल्क NIL + आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/– योग = ₹ 25/–
6-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित – क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
7- भूतपूर्व सैनिक – क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
8- महिला – क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. सबमिट किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अन्तिम तिथियों तक वे दूसरा आवेदन संशोधित सूचना के साथ आन लाइन प्रेषित कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा।

अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद/पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

व्यावसायिक शिक्षा, उ0प्र0

02 (दो) पद- प्रधानाचार्य श्रेणी-2/उपप्रधानाचार्य/प्राविधिक अधिकारी/सहायक शिक्षुता सलाहकार, (पुनर्विज्ञापन, विशेष चयन), **आरक्षण- विकलांगजनों** हेतु आरक्षित। कोटे के दो पद (कम दृष्टि (पी0बी0) अभ्यर्थियों के लिए 01 पद व श्रवण ह्रास से ग्रसित (पी0डी0) अभ्यर्थियों के लिए 01 पद), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित/अस्थायी/पेंशन शासन के अद्यतन नियमों के अनुसार, **वेतनमान/वेतन बैंड-** रू0 15600-39100/ **ग्रेड पे0**-5400, **परिवीक्षा अवधि-** 02 वर्ष, **आयु सीमा-** 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार), **विभाग संख्या-** सेवा-9/02, **अर्हताएं- (अ) अनिवार्य- (1)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, आटोमोबाइल या उत्पादन अभियांत्रिकी में उपाधि या ए0एम0आई0ई0 (इण्डिया) या ए0एम0आई0 (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) (लंदन) या ए0एम0आई0ई0 (लंदन) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता और **(2)** प्राविधिक अधिकारी/प्रधानाचार्य (श्रेणी-2) उप प्रधानाचार्य के पदों के लिए कम से कम दो वर्ष के अध्यापन या कर्मशाला का अनुभव। **नोटः-** प्रश्नगत पद हेतु दो वर्ष के अध्यापन का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंजीनियरिंग की सम्बन्धित शाखा में डिग्री या डिप्लोमा स्तर की कक्षाओं के अध्यापन एवं कार्यशाला का अनुभव केन्द्र या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी सार्वजनिक उपक्रम/प्रतिष्ठान में इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा का प्रबंधकीय/पर्यवेक्षक स्तर का होना चाहिए। **(ब) अधिमानीः-** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, ऐसे अभ्यर्थी को जिसनेः- (1) प्रादेशिक सेना **में दो वर्ष** की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या (2)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का **'बी'** प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

पद का स्वरूप- अस्थायी/अराजपत्रित, **वेतनमान-** रू. 9300-34800/- (**ग्रेड पे** रू. 4800/-) , **आयु-** 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार), **महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं है।** उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा **(पुरूष शाखा)** संवर्ग के अन्तर्गत **प्रवक्ताओं** की निम्नांकित रिक्तियाँः-

सामान्य चयन

क्र. सं.	प्रवक्ता का विषय व विभाग संख्या	कुल रिक्तियां	अनारक्षित	अ. पि. वर्ग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	क्षैतिज आरक्षण: चलन क्रिया विकलांग	श्रवणह्रास विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	डी0 एफ0 एफ0
1	हिन्दी- एस-4/1	26	11	7	8	-	-	-	3	1
2	अंग्रेजी- एस-4/2	24	11	7	6	-	-	1	1	1
3	उर्दू- एस-4/3	14	7	4	3	-	1	-	-	-
4	गणित- एस-4/4	26	16	8	1	1	-	-	1	1
5	जीव विज्ञान- एस-4/5	10	5	4	1	-	-	-	-	-
6	भौतिक शास्त्र- एस-4/6	21	7	9	5	-	-	-	2	-
7	रसायन विज्ञान- एस-4/7	25	11	7	7	-	-	-	2	-
8	इतिहास- एस-4/8	10	4	1	5	-	-	-	-	-
9	नागरिक शास्त्र- एस-4/9	11	6	1	4	-	-	-	-	-
10	भूगोल- एस-4/10	10	3	3	4	-	-	-	1	-
11	अर्थशास्त्र- एस-4/11	9	4	2	3	-	-	-	-	-
12	संस्कृत- एस-4/12	1	1	-	-	-	-	-	-	-
13	फारसी- एस-4/13	1	1	-	-	-	-	-	-	-
14	समाज शास्त्र- एस-4/14	6	2	2	2	-	-	-	-	-
15	कृषि- एस-4/15	2	1	-	1	-	-	-	-	-
16	वाणिज्य- एस-4/16	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17	शिक्षा शास्त्र- एस-4/17	3	1	1	1	-	-	-	-	-
18	मनोविज्ञान- एस-4/18	3	1	1	1	-	-	-	-	-
19	तर्कशास्त्र- एस-4/19	4	2	1	1	-	-	-	1	-
20	औद्योगिक रसायन एस-4/20	1	1	-	-	-	-	-	-	-
21	शारीरिक अनुदेशक एस-4/21	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	योग	**210**	**98**	**58**	**53**	**1**	-	-	-	-

आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। **शैक्षिक अर्हताएं-अनिवार्यः- अंग्रेजी, गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान व अर्थशास्त्र के लिए शैक्षिक अर्हताएं निम्नवत् हैंः-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। **हिन्दी विषय हेतु अर्हताएंः-** हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का प्रमाण-पत्र। **जीव विज्ञान विषय हेतु अर्हताएंः-** वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। **उर्दू विषय हेतु अर्हताएंः-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। **फारसी विषय हेतु अर्हताएंः-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फारसी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या कामिल परीक्षा प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण किया हो। **वाणिज्य विषय हेतु अर्हताएंः-** वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि। **तर्कशास्त्र विषय हेतु अर्हताएंः-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। **शिक्षाशास्त्र विषय हेतु अर्हताएंः-** मनोविज्ञान या शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विश्वविद्यालय से एल.टी. डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि। **या** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। **संस्कृत विषय हेतु अर्हताएंः-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि। **कृषि विषय हेतु अर्हताएंः-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। **औद्योगिक रसायन विषय हेतु अर्हताएंः-** काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से एम0एससी0 टेक्निकल **या** एम0एससी0 रसायन और राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से एल0टी0 विशेषज्ञता **या** हरकोर्ट बटलर तकनीकी संस्थान की फैलोशिप सदस्यता के साथ बी0एससी0 या हरकोर्ट बटलर संस्थान कानपुर की एसोसिएट सदस्यता के साथ बी0एससी0 **या** राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से एल0टी0 (डिप्लोमा के साथ बी0एससी0 (औद्योगिक

रसायन) **या** राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण कालेज लखनऊ से बी0एससी0 (टेक्निकल)। **शारीरिक अनुदेशक विषय हेतु अर्हताएंः-** 1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक। 2- शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। **अधिमानी अर्हता क्रम संख्या 1 से 20 तक के विषयों हेतुः-** 1. राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एल.टी. डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। 2. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा- जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। **या** जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। **क्रम संख्या-21 के शारीरिक अनुदेशक विषय हेतु अधिमानी अर्हताः-** 1. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भारतीय व्यायाम में व्यायाम विशारद। 2. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा- जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। **या** जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0

33 (तैंतीस) पद दन्त शल्यक समूह ''ख'' के रिक्त पदों पर सीधी-भर्ती द्वारा चयन हेतु आन-लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं। **विभाग संख्याः-** सेवा-8/4, कुल रिक्तियों की संख्या व आरक्षण निम्नवत् हैंः- (**पुरूष और महिला दोनो अभ्यर्थी पात्र होंगे।**)

कुल रिक्तियाँ	अनारक्षित श्रेणी	अ0पि0वर्ग	अनु0जाति	अनु0जनजाति
33	19	06	08	-

(क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा), **वेतनमानः-** रू0 15600-39100, **ग्रेड वेतन-**5400/- व अन्य भत्ते शासनादेशानुसार, **पद का स्वरूपः-** राजपत्रित/अस्थाई। (परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष), **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताः-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0डी0एस0 (दन्त शल्यक चिकित्सा का स्नातक) की उपाधि या इण्डियन डेन्टल काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता एवं डेन्टल काउन्सिल उ0प्र0 में पंजीयन, **अधिमानी अर्हताएँः-** अन्य बातों के समान होने पर सीधी-भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, **(1)** जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, **या (2)** जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, **आयुसीमाः-** 22 से 40 वर्ष तक (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयुसीमा में छूट), **आवश्यक निर्देशः- आन-लाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक एक वर्षीय इन्टर्नशिप पूर्ण होना आवश्यक है।** अभ्यर्थी आवेदन के समय आयु, अनिवार्य अर्हता, इन्टर्नशिप, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि सरकारी सेवा में हैं तो) एवं आरक्षण सम्बन्धी दावे की पुष्टि में निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट प्रमाण पत्र होना अवश्य सुनिश्चित कर लें। साथ ही उ0प्र0 दन्त परिषद का स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी वांछनीय है। जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन के समय उ0प्र0 डेन्टल काउन्सिल में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र न हो, तो उन्हें चयन की स्थिति में 45 दिन के अंदर उ0प्र0 डेन्टल काउन्सिल में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

अग्निशमन विभाग, उ0प्र0 (गृह विभाग)

01 (एक) पदः- (पुनर्विज्ञापन) **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** (उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है), **वेतनमानः-** रू0-15600-39100 **ग्रेड वेतन-** रू0-5400/-, **विभाग संख्या-** सेवा-1/04, **आयुः- 23-40** वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार), **पद का स्वरूपः-** राजपत्रित/अस्थाई, **अर्हताएंः- अनिवार्यः-** नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में तीन वर्ष की उपाधि या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि। **या** नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से डिवीजनल आफिसर्स कोर्स या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम,**अधिमानी अर्हताएंः- (1)** मोटर गाड़ियों (आटोमोबाइल) की मरम्मत करने का ज्ञान। **(2)** व्यावहारिक दृष्टि से अग्निशमन और भयंकर अग्निकाण्ड पर काबू पाने का अनुभव अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या (**दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उ0प्र0

78 (अठहत्तर) पद एलोपैथिक चिकित्साधिकारी लेबल-1 अग्रेनीत (सीधी भर्ती) **(बैकलाग/विकलांग)** (प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग) के अन्तर्गत, **विभाग संख्याः-** सेवा-8/5, प्रश्नगत पद विकलांग श्रेणी के OL (One leg affected, Right of Left) तथा PB (Partially Blind) हेतु चिन्हांकित हैं। रिक्तियों की संख्या एवं विकलांग जन की इन श्रेणियों हेतु पदों की गणना निम्नवत् हैः-

कुल रिक्तियाँ	अनारक्षित श्रेणी	अ0पि0वर्ग	अनु0जाति	अनु0जनजाति
78 अग्रेनीत पद	35 OL 13+PB 22	23 OL 12+PB 11	18 OL 09+PB 09	02 OL 01+PB 01

(क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा), **वेतनमानः-** रू0 15600-39100, **ग्रेड वेतन-5400/-** व अन्य भत्ते शासनादेशानुसार, **पद का स्वरूपः-** राजपत्रित/अस्थाई, **परिवीक्षा अवधि-** 02 वर्ष, **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताः-** सीधी-भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि होना आवश्यक है। भारतीय चिकित्सा परिषद या उ0प्र0 चिकित्सा परिषद द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि/चिकित्सा या स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में वरीयता दी जायेगी। **अधिमानी अर्हताएँः-** अन्य बातों के समान होने पर सीधी-भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, **(1)** जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, **या (2)** जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, **आयुसीमाः-** 21 से 40 वर्ष तक (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयुसीमा में छूट, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयुसीमा 15 वर्ष तक शिथिलनीय है)। **आवश्यक निर्देश-** अभ्यर्थी अपने परम्परागत आवेदन पत्र के साथ आयु, अनिवार्य अर्हता, इन्टर्नशिप, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि सरकारी सेवा में हैं तो) एवं आरक्षण संबंधी दावे की पुष्टि में स्पष्ट प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा, साथ ही उ0प्र0 चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना वांछनीय है। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के साथ उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं होगा उन्हें चयन की स्थिति में 45 दिन के अन्दर उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन शुल्क देय नहीं है।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा (यूनानी) विभाग

29 (उन्तीस) पद चिकित्साधिकारी- (अग्रेनीत) प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में बैकलाग के अन्तर्गत। **(विभाग संख्या-** सेवा-11/17), **पद का रूवरूप-** राजपत्रित एवं अस्थाई, **आरक्षण-** 24 पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति एवं 05 पद उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित। उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिज आरक्षण शासन की नीति/आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगा, **वेतनमान-** पे-बैण्ड-3, रू. 15600/-39100/- **ग्रेड वेतन-** रू. 5400/-, **अर्हताएं-अनिवार्य- (क)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी तिब में उपाधि। **या** भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश की यूनानी तिब में पांच वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा। **(ख)** भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 से हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण। **(ग)** राज्य के यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः माह का व्यवसायिक अनुभव। **अधिमानी अर्हता- (1)** मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी तिब में स्नातकोत्तर उपाधि, **आयुः-** न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), **अन्य शर्त एवं अर्हता-** नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी चिकित्सालयों/फार्मेसी/कालेजों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। **नोटः- (1)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। **(2)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उ0प्र0

924 (नौ सौ चौबीस) पद एलोपैथिक चिकिसाधिकारी ग्रेड–1 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत, (अग्रेनीत) (सीधी–भर्ती), **विभाग संख्या** – सेवा–8 / 6, प्रश्नगत पद हेतु आरक्षणवार स्थिति निम्नवत् है –

कुल रिक्तियाँ	सामान्य श्रेणी	अ0पि0वर्ग	अनु0जाति	अनु0जनजाति
924 (अग्रेनीत पद)	03	417	452	52

(क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा), **वेतनमानः**– 15600–39100, **ग्रेड वेतन**–5400 / – व अन्य भत्ते शासनादेशानुसार, **पद का स्वरूपः**– राजपत्रित / अस्थाई, **परिवीक्षा अवधि** 2 वर्ष, **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताः**– सीधी–भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 की उपाधि होना आवश्यक है। भारतीय चिकित्सा परिषद या उ0प्र0 चिकित्सा परिषद द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि / चिकित्सा या स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में वरीयता दी जायेगी, **अधिमानी अर्हताएँः**– अन्य बातों के समान होने पर सीधी–भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा– (1) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, **या** (2) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, **आयुसीमा** :– 21 से 40 वर्ष तक (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयुसीमा में छूट)। **आवश्यक निर्देश**– अभ्यर्थी अपने परम्परागत आवेदन पत्र के साथ आयु, अनिवार्य अर्हता, इन्टर्नशिप, अनापत्ति प्रमाण–पत्र (यदि सरकारी सेवा में हैं तो) एवं आरक्षण संबंधी दावे की पुष्टि में स्पष्ट प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें अन्यथा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा, साथ ही उ0प्र0 चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीकरण प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना वांछनीय है। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के साथ उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होगा उन्हें चयन की स्थिति में 45 दिन के अन्दर उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रेशन करा कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथी) विभाग

04 (चार) पद प्रोफेसर मटेरिया मेडिका प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए (अग्रेनीत), (**विभाग संख्या-** सेवा-11/18), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं अस्थाई परन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है, **आरक्षण-** 02 पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति एवं 02 पद उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** वेतनबैण्ड -3, वेतनमान रू. 15600-39100/- **ग्रेड वेतन-** रू 7600/-, **अर्हताएं- अनिवार्य- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री **या** होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सह आचार्य के रूप में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव को सम्मिलित करते हुए दस वर्ष का अध्यापन अनुभव। **अधिमानी अर्हताएं- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, दोनों रखता हो, **(ख)** होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। **आयुः** न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार) इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। **अन्य शर्तें एवं अर्हता -** उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-1981 की धारा-6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत 09 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। **नोटः- (1)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। **(2)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **(3)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेख की मांग के समय सभी अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेद) विभाग

01 (एक) पद प्रोफेसर शल्य तन्त्र, उत्तर प्रदेश राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के लिए (अग्रेनीत), (**विभाग संख्या-** सेवा-11/19), **पद का स्वरूप** राजपत्रित एवं स्थाई, **आरक्षण-** पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** 15600 से 39100/- **ग्रेड-पे-** रू 7600/-, **अर्हताएं- अनिवार्य- (1)** विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में पांच वर्ष की उपाधि **या** भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य, बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की पांच वर्ष की उपाधि। **(2)** सम्बन्धित विषय के अध्यापन का 10 का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल 08 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर तीन वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। **(3)** हिन्दी, अंग्रजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। **अधिमानी अर्हताएं- (1)** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। **(2)** शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन, **आयुः** न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), **अन्य शर्त एवं अर्हता -** नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। **नोटः- (1)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। **(2)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। **(3)** अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। **(4)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **(5)** आनलाइन आवेदन-पत्र के अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी कालम में सभी वर्षों के प्राप्तांक/पूर्णांक के योग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जाय।

उ0प्र0 चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथी) विभाग

01 (एक) पद रीडर सर्जरी प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए (अग्रेनीत), (**विभाग संख्या-** सेवा-11/20), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं अस्थाई परन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है, **आरक्षण-** पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** 10000-325-15200/-(संशोधन पूर्व), **अर्हताएं- अनिवार्य- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री अधिमानतः होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त एलोपैथिक या होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्राध्यापक के रूप में चार वर्ष का अध्यापन अनुभव या सात वर्ष का अध्यापन अनुभव, **अधिमानी अर्हताएं- (क)** एलोपैथी अर्हता रखने वाले व्यक्तियों के लिये होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम-1973 की द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में अंतर्विष्ट होम्योपैथी में कोई अर्हता। (ख) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। **आयुः-** न्यूनतम 28 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। **अन्य शर्तें एवं अर्हता-** उत्तर प्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-1981 की धारा-6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथी महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत-09 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान दिया जायेगा। **नोटः- (1)** पद का वेतनमान शासन द्वारा अनुमन्य किया गया , देय होगा। **(2)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। **(3)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं जिसमें अधिकतम अंक/न्यनूतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे, **(4)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव व प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।

उ0प्र0 प्रदेश चिकित्सा (यूनानी) विभाग

58 (अट्ठावन) पद चिकित्साधिकारी प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों के अन्तर्गत, (**विभाग संख्या-** सेवा-11/21), **पद का स्वरूप** राजपत्रित एवं अस्थाई, **आरक्षण-** 57 पद अनारक्षित, 01 पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित (11 पद उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों तथा 01 पद उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम के आश्रितों हेतु क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आरक्षित है), **वेतनमान-** पे-बैण्ड-3, रू0 15600-39100/-, **ग्रेड वेतन-** रू0 5400/-, **अर्हताएं-अनिवार्य- (क)** भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी तिब में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश की यूनानी तिब में पांच वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा, **(ख)** भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 से हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण, **(ग)** राज्य के यूनानी चिकित्सालय या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः माह का व्यवसायिक अनुभव, **अधिमानी अर्हता- (1)** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी तिब में स्नातकोत्तर उपाधि, **आयुः-** न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), **अन्य शर्तें एवं अर्हता-** नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी चिकित्सालयों/फार्मेसी/कालेजों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है, **नोटः- (1)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी, **(2)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आनलॉइन आवेदन में करें तथा अभिलेखों की मांग के समय सभी अंक तालिकाएं जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0

01 (एक) पद बायोलॉजिस्ट (जीव वैज्ञानिक), आरक्षण- अनु0जाति हेतु आरक्षित, (**विभाग संख्या-** एस-8/7), **पद का स्वरूप-** अराजपत्रित एवं स्थाई, चयनोपरान्त चिन्हित राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम/वेक्टर वार्न डिजिज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के किसी भी भाग में तैनाती की जा सकती है, **वेतनमान-** रू0 5,200 से 20,200/-, **आयुसीमा-** 21 से 40 वर्ष, (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयुसीमा में छूट), **अर्हताएं अनिवार्य- बायोलॉजिस्ट (जीव वैज्ञानिक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्य समकक्ष अर्हताएं, **अधिमानी अर्हताएं-** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, **(1)** जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(2)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, **नोटः-** बायोलॉजिस्ट (जीव वैज्ञानिक)- पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने परम्परागत आवेदन पत्र, जब उनसे माँगा जाए, के साथ आयु, शैक्षिक अर्हताओं से सम्बन्धित अंकपत्र एवं समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, अवश्य संलग्न करें।

चिकित्सा विभाग, उ0प्र0

01 (एक) पद सहायक अभियन्ता (विद्युत प्रकोष्ठ) उ0प्र0 विद्युत चिकित्सा अनुरक्षण प्रकोष्ठ अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत, (**विभाग संख्या-** सेवा-8/8), **आरक्षण-** अनु0जाति हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** रू0 15600-39100/-, **ग्रेड वेतन-** रू0 5400/-, **पद का स्वरूप** राजपत्रित व स्थाई, **परिवीक्षा अवधि** 2 वर्ष, **आयु सीमा-** 21 से 40 वर्ष (आरक्षण नीति के अन्तर्गत आयुसीमा में छूट अनुमन्य होगी), **अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक, विद्युत या इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी में उपाधि या किसी प्राविधिक संस्था से यांत्रिक, विद्युत या इलेक्ट्रानिक्स यांत्रिकी में डिप्लोमा के साथ चिकित्सालय साज-सज्जा के अनुरक्षण का कम से कम 07 वर्ष का अनुभव, **अधिमानी अर्हतायें-** अन्य बातों के समान होने पर सीधी-भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनें (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, **आवश्यक निर्देश-** अभ्यर्थी अपने परम्परागत आवेदन पत्र, जब इसे मांगा जाए, के साथ आयु, अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण सम्बन्धी दावे की पुष्टि में स्पष्ट प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करें, अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

सामान्य अनुदेश

आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 03 दिसम्बर, 2016

आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि : 07 दिसम्बर, 2016

1. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

2. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

3. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

4. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा न लिखा हो) 01 जुलाई, 2016 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, तथा उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष शिथिलनीय होगी। भूतपूर्व सैनिकों को सम्पूर्ण सैन्य सेवावधि के अतिरिक्त 3 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है। शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। जिनके लिये शासनादेश दिनांक 13.01.2011 के अनुसार पद चिन्हांकित है।

5. आवेदन आयोग में प्राप्त होने के पश्चात धारित अर्हताओं, तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

7. पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या/अधिक होने पर आयोग निर्दान परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी।

8. मूल प्रमाण–पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

9. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. अभ्यर्थी की अर्हता तथा पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो 'ON-LINE' आवेदन के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

12. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रकिया में SUBMIT बटन को Click करना अतिआवश्यक है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के सम्बन्ध में निम्नलिखित मूल–प्रमाण–पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

13.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण–पत्र।

13.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/ डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।

13.3 शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 18/1/2008 – का–2–2008, 3 फरवरी 2008 के साथ संलग्न प्रारूप–1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

13.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या–22/21/1983–का–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा।

13.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या–22/16/92–टी.सी.–III/का–2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/ एस.डी.एम. /तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।

13.6 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

14. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

15. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र का पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22.01.1982, 08.03.1983 तथा शासनादेश संख्या– 3014, कार्मिक–2, 1982 दिनांक 18.10.1982 सपठित शासनादेश संख्या– 6/1972, कार्मिक–2 1982 दिनांक 15.01.1983 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या– 453/79–वि–1–15–1(क) 14–2015 दिनांक 07–04–2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

16. किसी अनाचार किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने अभियोजन/ आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

17. पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

18. अभ्यर्थी को आन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा website पर "contact us" से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।

19. अभ्यर्थी को आन–लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।

परिशिष्ट–1: फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया।

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a **'Declaration'** for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the **Declaration** carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on **'I Agree'** or **'I do not agree'** buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name

Personnel Details

This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number, candidate name, Father/ Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Candidate address, photo & signature details

Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button option you can modify your details.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website **http://uppsc.up.nic.in** in CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT

:- NOTIFICATIONS / ADVTS.

All Notification / Advertisements

:- ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration
2. Fee Deposition /Reconciliation
3. Submit Application Form

:- APPLICATION FORM STATUS

View Application Status

List of Applications Having photo related Objections

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

Print Address Slip for sending documents to Commission [Only for Direct Recruitment]

:- EXAMINATION SEGMENT

Print Conventional Form and Address Slip (New)

:- DOWNLOAD SEGMENT

Download Admit Card

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

Appendix-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *** .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png** format on local machine.
4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
5. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.
6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-

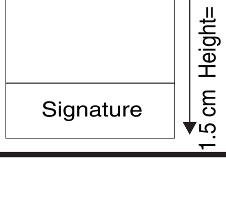

परिशिष्ट

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी............................ सुपुत्र/सुपुत्री श्री.......................... निवासी .... ग्राम .... तहसील............... नगर...... .... जिला......................... उत्तर प्रदेश राज्य की....................... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम...............................तहसील...............................नगर................. .... जिला...............................में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर............................

दिनांक .... पूरा नाम............................

मुहर .... पद नाम............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–I)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................सुपुत्र/सुपुत्री .... निवासी...................तहसील...................नगर...... जिला..................... उत्तर प्रदेश राज्य की...........................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................. पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी.................................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम......................... तहसील....................................... नगर...................... जिला.. .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

ANNEXURE

Certificate No. .... Date ....

DISABILITY CERTIFICATE

Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board

This is to certified that Shri/Smt/Kum.................................. son /wife/daughter of Shri .... age......... .... Sex .... identification mark (c) .... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:
(i) BL-Both legs affected but not arms.
(ii) BA-Both arms affected
 (a) Imparied reach
 (b) Weakness or grip
(iii) BLA-Both legs and both arms affected
(iv) OL-One leg affected (right or left)
 (a) Imparied reach
 (b) Weakness of grip
 (c) Ataxic
(v) OA-One arm affected
 (a) Imparied reach
 (b) Weakness of grip
 (c) Ataxic
(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood)
(vii) MW- Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or Low Vision:
 (i) B-Blind
 (ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing impairment:
 (i) D-Deaf
 (ii) PD-Partially Deaf
 (Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of .... years .... months.*
3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.
4. Sh./Smt/Kum .... meets the following physical requirements for discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with fingers	Yes/No
(ii) PP-can perform work by pulling & pushing	Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting	Yes/No
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching	Yes/No
(v) B-can perform work by bending	Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting	Yes/No
(vii) ST-can perform work by standing	Yes/No
(viii) W-can perform work by walking	Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing	Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking	Yes/No
(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No

(Dr. ....)	(Dr. ....)	(Dr. ....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the Medical Superintendent/ CMO/Head of Hospital (with seal)

* Strike out which is not applicable

सचिव